सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) **(Government of India : Ministry of Home Affairs)**
हैदराबाद : **Hyderabad– 500 052.**

<u>Inter Office Note</u>

Sub : **Notified Recruitment Rules for the post of Head Constable (Riding) -Reg**

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Head Constable (Riding) is enclosed herewith for uploading the same in the Academy website under "Recruitment Rules" column.

(Dr. K. Madhukar Shetty)
Deputy Director (Estt)

The Assistant Director (IT)
SVP NPA,Hyderabad.

No.11011/7/2016/Estt- Head Constable (Riding) Dated 6th Feb, 2018

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 2] नई दिल्ली, जनवरी 7—जनवरी 13, 2018, शनिवार/पौष 17—पौष 23, 1939
No. 2] NEW DELHI, JANUARY 7— JANUARY 13, 2018, SATURDAY/ PAUSHA 17—PAUSHA 23, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 10.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैड कांस्टेबल (घुड़सवारी) भर्ती नियम, 1980 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में हैड कांस्टेबल (घुड़सवारी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :

   (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैड कांस्टेबल (घुड़सवारी) भर्ती नियम, 2018 है।

   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**–पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि.**–भर्ती को पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**–वह व्यक्ति ,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **षिथिल करने की शक्ति.**–जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर के इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
हैड कांस्टेबल (घुड़सवारी)	07*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं , प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस पदधारियों में से ; 1) सदृश्य पद धारण करने वाले; या हैड कांस्टेबल (अश्वारोही पुलिस); या 2) कांस्टेबल (अश्वारोही) पुलिस जिसे मूल काडर में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया। **वांछनीय** : 1) अश्वारोहण प्रशिक्षण में 5 वर्ष तक का अनुभव होना चाहिए। 2) प्रतिष्ठित घुड़दौड़ स्पर्धाओं में पदक जीता होना चाहिए। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति कि अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति कि अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने कि अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी

यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु) विद्यमान हैं तो उसका परिमाण क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 23011/09/2017–पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 10th January, 2018

G.S.R. 10.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Head Constable (Riding) Recruitment Rules, 1980, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cooks in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement. —**(1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Head Constable (Riding), Recruitment Rules 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.—**The method of recruitment of the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** —Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Class, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-Selection Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Head Constable (Riding)	07* (2018) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 4	Not Applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and the percentage of vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)
Not Applicable	Deputation

In case of recruitment by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation : From amongst Central Police Organisations or State Police officials. (i) holding analogous post, or Head Constable (Mounted Police); or (ii) Constable (Mounted) Police who have been graded fit	Not applicable	Not applicable

for promotion in the parent cadre. **Desirable:** (i) Upto five years of training experience in horse riding. (ii) Winning distinctions in recognised Equestrian events. **Note 1 :** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organization/department shall ordinarily not exceed three years. **Note 2 :** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/09/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2018

सा. का. नि. 11.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1961 और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (उप सहायक निदेशक) भर्ती नियम, 1977 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है , या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में सहायक निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (सहायक निदेशक) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।